"That the Bill to repeal the Imperial Library (Indentures Validation) Act, 1902 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration."

The question was proposed.

THE VICE - CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) : Unfortunately, there are no names. I think there was some discussion in the Business Advisory Committee. The need for repealing the Bill is so obvious that more or less, without discussion, this Bill will get passed. So, I think that is why no names are there. The question is:-

"That the Bill to repeal the Imperial Library (Indentures Validation) Act, 1902 as passed by Lok Sabha be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGMOHAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed".

The question was put and the motion was adopted.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2002

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Now, we will take up the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Bill, 2002 for consideration. Dr. Satya Narayan Jatiya.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI SATYABRATA MOOKERJEE): Sir,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Have you taken permission from the Chair?

SHRI SATYABRATA MOOKERJEE: Sir, if you permit, I would move.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): In the Order Paper, the name of Dr. Satya Narayan Jaitya is mentioned. Normally, the procedure is that if the Cabinet Minister is not there to move, and if the Minister of State is going to move, specific permission has to be taken from the Chair. In any case, I am allowing you, but it is for the Parliamentary Affairs Minister to take this aspect into consideration.

SHRI SATYABRATA MOOKERJEE: Sir, I beg to move:

> That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, so far as the Schedules are concerned, from time to time, there are representations from the various States that the names of some more castes should be included in the Schedule.

Now, we have received several representations from various States. They are saying that these castes should be included in the Schedule. Sir, this Bill was introduced in the Lok Sabha and it was passed by them. I, therefore, request that the Bill may be taken up by this august House for consideration.

The question was proposed.

श्री राजू परमार (गुजरात): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय के द्वारा जो शैड्यूल्ड कॉस्ट आर्डर अमेंडमेंट बिल, 2001 लाया गया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। खास तौर से इस बिल को लाने के लिए हमारे जटिया जी ने जो मेहनत की है उसके लिए भी मैं उनका गुजरात के पूरे शैड्यूल्ड कॉस्ट के लोगों की ओर से धन्यवाद करता हूं। सर, आप जानते हैं कि पहले बोम्बे स्टेट था और बोम्बे स्टेट में डांड जिले और बलसार जिले के उमर गांव ताल्लुका के जो मोची थे वह अनुसूचित जाति की सूची में थे। 1960 में बोम्बे स्टेट का विभाजन हुआ तथा महाराष्ट्र और गुजरात दो स्टेट अस्तित्व में आए। इस कारण डांड जिले और बलसार जिले के उमर गांव ताल्लुका के लोग गुजरात में इंक्लूड हुए। वहां रहने वाले मोचियों को गुजरात की सूची में शैड्यूल्ड कॉस्ट में इंक्लूड किया गया। लेकिन 1976 में पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन 1976 में जो पार्लियामेंट में विधेयक लाया गया इसमें एरिया रेस्ट्रक्शन उठा लिया गया। उसकी वजह से पहले सिर्फ़ दांग जिले के, उमर गांव

तालुका और बलसार जिले के जो मोची थे, वे ही शैड्यूल्ड कास्ट की सूची में थे और वही सिर्फ शैड्यूल्ड कास्ट के थे। लेकिन यह एरिया रेस्ट्रक्शन उठ जाने की वजह से पूरे गुजरात के जो मोची थे वे शैड्यूल्ड कास्ट का पूरा राइट भुगतने लगे और उसकी वजह से जो सही शैड्यूल्ड कास्ट के लोग थे उनके साथ अन्याय होने लगा। आज 26 साल के बाद यह अन्याय दूर हो रहा है, इसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। खासतौर पर गुजरात के जो आम मोची हैं, वे अनटचेबल भी नहीं हैं, वे शैड्यूल्ड कास्ट के क्राइटेरिया में भी नहीं आते हैं और वे शैड्यूल्ड कास्ट के साथ कभी मिक्स-अप भी नहीं होते हैं। आज यह एरिया रेस्ट्रक्शन सिर्फ गुजरात के डिस्ट्रिक्ट दांग और उमर गांव तालुका के ही जो मोची हैं, वे ही शैड्यूल्ड कास्ट में गिनाए जायेंगे, ऐसा जो आज रेस्ट्रक्शन इम्पोज किया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सर, खासतौर पर गुजरात के जो मोची हैं वे शैड्यूल्ड कास्ट की सूची में भी इन्क्लूड हैं और इसके साथ-साथ उनका ओबीसी की लिस्ट में भी नाम है। गुजरात में जब-जब, जो-जो गवर्नमेंट आई, वह कांग्रेस की हो या अन्य पार्टी की हो, उन्होंने बार-बार केन्द्र को लिखा कि मोची जाति गलती से शैड्यूल्ड कास्ट की सूची में इन्क्लूड हो गया है इसको रिमूव करना चाहिए। पहले जो एरिया रेस्ट्रक्शन था उसको दुबारा इंपोज करना चाहिए। गुजरात गवर्नमेंट ने यह भी कहा है और एश्योर्ड भी किया है सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कि जब यह एरिया रेस्ट्रक्शन बिल लाया जायेगा तो गुजरात के जो मोची हैं, उनका अभी जो ओबीसी की लिस्ट में नाम है, उनको यहीं पर रखा जायेगा। उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ऐसा गुजरात की सरकार ने भी हमारे केन्द्रीय मंत्री श्री जटिया जी को बार-बार चिट्ठी लिखकर आश्वस्त किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मोची जाति के लोगों के साथ कोई अन्याय होगा। ओबीसी में उनका नाम चालू रहने वाला है। आज दुबारा यह बिल लाने का हमारे जटिया जी ने जो कष्ट किया है, उसके लिए मैं उन्हें पूरे गुजरात की ओर से, पूरी गुजरात की शैड्यूल्ड कास्ट की कम्युनिटी की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जटिया जी और काम करते रहें, इसी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल): उपसभाध्यक्ष जी, देखने में तो यह विधेयक बहुत छोटा सा और सरल लगता है क्योंकि उद्देश्य बड़ा निहित है। कौन सी जातियां अनुसूचित जातियां हैं और कौन सी नहीं हैं, यह प्रक्रिया 1936 से चली आ रही है। इसमें कुछ जातियां शामिल हो जाती हैं और कुछ निकाल दी जाती हैं। मैं इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। 1930 में गोलमेज कांफ्रेंस में भारत के सारे प्रतिनिधि गए थे और भारत के लिए एक कानून बनना था क्योंकि भारत के लोग स्वयं राज करना चाहते थे। कानून कैसा हो, अपने-अपने विचार लेकर के भारत के प्रतिनिधि वहां गए थे, डा0 अम्बेदकर भी वहां पर गए थे। संविधान का स्वरूप प्रस्तुत करते समय उन्होंने यह भी गोलमेज कांफ्रेंस में कहा था कि छह करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें पद-दलित कहते थे, डिप्रेस क्लास कहते हैं। उनको कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए । उनके सामने प्रश्न आया कि उनकी क्या खास बात है, क्या कमजोरियां हैं, उन्हें क्यों सुविधाएं मिलनी चाहिए ? डाक्टर अम्बेडकर ने कहा कि (1) the so-called depressed classes are weak in terms of number; (2) they are socially low; (3) they are educationally backward; and (4) they are not economically on par with others. लिहाजा इन चारों बातों की छान-

बीन की गयी और यह पता लगाया गया तो डाक्टर अम्बेडकर की बात को सही माना गया और ये चारों बातें इन वर्गों के बारे में जब सही पाई गयीं तो उनको सुविधा के रूप में आरक्षण का आश्वासन दे दिया गया । 1935 में भारत सरकार अधिनियम बना । उसमें दो प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गयी । एक तो आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियों में और दूसरा लैजीस्लेचर में । उस समय सैंट्रल असैम्बली और स्टेट लैजीस्लेचर होते थे और 1936 में पहला शैडयूल्ड कास्ट ऑर्डर जारी हुआ जिसमें अनुसूचित जातियों की सूची जारी हुई । मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इस सदन के लिए, मंत्रालय के लिए, मंत्री जी के लिए और जन-प्रतिनिधियों के लिए बताना चाहता हूं - कभी इसाई दलित आरक्षण मांगते हैं, कभी मुस्लिम आरक्षण मांगते हैं, कभी ओ.बी.सी. आरक्षण मांगते हैं - मैं यह पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं । पहले शैडयूल्ड कास्ट ऑर्डर की धारा तीन में यह लिखा गया "the Indian Christians shall not be deemed to be Scheduled Castes". और वह आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है । एक तो मंत्री महोदय और सरकार इस बात का ध्यान रखे कि जब कभी भी ऐसे मसले उठाए जाते हैं तो इस पृष्ठभूमि को सामने रखना चाहिए । मान्यवर, उस समय जो लैजीस्लेचर में आरक्षण हुआ तो हिन्दुओं में अनुसूचित जाति के लिए हुआ। अनुसूचित जनजाति नहीं थी । उसके बाद मुसलमानों का आरक्षण हुआ, सिखों का आरक्षण हुआ, एंग्लो इंडियन्स का आरक्षण हुआ और इंडियन क्रिश्चियन्स का आरक्षण हुआ, यूरोपियन्स का आरक्षण हुआ, महिलाओं का आरक्षण हुआ तथा लेबर के लिए भी कुछ सीटों में आरक्षण हुआ और कॉमर्स तथा इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के लिए भी आरक्षण हुआ । जब तक हमारा संविधान नहीं बना तब तक यह चलता रहा और इसको हम पृथक निर्वाचन की संज्ञा देते रहे। इस पृथक निर्वाचन से हमारे देश को नुकसान होने की भी बड़ी संभावना थी, अलगाव की भावना पैदा हो रही थी । जब हमारा संविधान बना तो इसमें पृथक निर्वाचन समाप्त हो गया और आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों के लिए रखा गया तथा अनुसूचित जनजातियों को इसमें इसलिए जोड़ दिया गया कि वे गरीब भी थे, अशिक्षित भी थे लेकिन छुआछूत उनके साथ नहीं थी । मगर यहां यह जोड़ दिया गया कि they are living in isolation, वह अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वनवासी हैं इसलिए इन दोनों को आरक्षण दिया गया । जहां तक इस सूची का सवाल है, इसका तो हम समर्थन करते हैं लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं और कुछ ऐनामलीज हैं जिनका निराकरण आज तक नही हुआ । जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का है, वह महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति का नहीं है, उसे वहां पर आरक्षण का लाभ नही मिलेगा । आज तक इस शिकायत का निराकरण नहीं हुआ । उसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उस राज्य मे नहीं मिलता है । गुजरात का मोची अगर आरक्षण की श्रेणी मे है और वह उत्तर प्रदेश में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में उसे प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, यह कहकर कि उत्तर प्रदेश में मोची अनुसूचित जातियों की श्रेणी में नहीं है । वह बिजिनेस करने के लिए गया या नौकरी करने के लिए गया और वहीं सैटल हो गया तो उसकी बिरादरी कहां खत्म हुई ? उसका डोमीसाइल तो बदल गया लेकिन उसकी जात तो जन्मजात ही है । इस देश में तो जन्म से जाति होती है और हमेशा चलती रहती है, यह कभी खत्म नहीं होती । यह परेशानी आज तक खत्म नहीं हुई कि एक स्टेट में शैडयूल्ड कास्ट अगर नौकरी के लिए, लेबर के लिए माइग्रेट कर गया तो उसे प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिलेगा ? इसे वेरिफाई करना चाहिए, गवर्नमेंट को बता देना चाहिए । इसका आप निराकरण करें ।

नंबर दो, 15 परसेंट आरक्षण 1971 में हुआ नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और 7.5 परसेंट हुआ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जब आबादी इनकी 22.5 परसेंट थी । अब 1991 में

16.48 परसेंट आबादी शेड्यूल्ड कास्ट्स की और 8.08 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, कुल 25 परसेंट हो गई और आरक्षण मिल रहा है 22.5 परसेंट के लिए ही । जब अनुसूचित जातियों की श्रेणी में और जातियां शामिल हो जाएंगी तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और जब संख्या बढ़ जाएगी, रोटी रहेंगी दो और दो की जगह खाने वाले हो जाएंगे आठ, तो रोटी का टुकड़ा-टुकड़ा मिलेगा । आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसका कोई निराकरण नहीं किया गया कि आरक्षण अगर आबादी के हिसाब से है तो इसका परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, यह आज तक नहीं हुआ । यह भी एक बड़ी परेशानी की बात है और इसका भी निराकरण होना चाहिए ।

मान्यवर, एक ही प्रदेश मे एक कौम जैसे अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि मोची दो ज़िलों में बैकवर्ड क्लास है । हमारे यहां कुछ कौमें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो एक क्षेत्र मे अनुसूचित जाति है, वह दूसरे क्षेत्र में, डिवीज़न में अनुसूचित जनजाति है और तीसरे में पिछड़ी जाति है, जैसे बंजारा । अब यह भी बड़ी anomaly है । केवल बैकग्राउंड यह देखना है कि उसके साथ छुआछूत बरती जाती है या नहीं ? तो शेड्यूल्ड कास्ट्स का मेन बैकग्राउंड अनटचेबिलिटी है, वह इकानॉमिक नहीं है । अगर उनके साथ छुआछूत बरती जाती है तो फिर सारे प्रदेश में एक सा होना चाहिए और अगर नहीं बरती जाती है, शादी-ब्याह होते हैं तो फिर नहीं होना चाहिए । इससे भी बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है, इसका भी निराकरण होना चाहिए ।

मान्यवर, मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला और मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों की सूची बनाई है । पिछड़ी जातियों की उस सूची में पेशे के आधार पर हिंदू भी पिछड़े हैं और मुस्लिम भी पिछड़े हैं, जैसे हिंदू दरज़ी है, मुस्लिम दरज़ी है, हिंदू बढ़ई, मुस्लिम बढ़ई, हिंदू रंगरेज़ और मुस्लिम रंगरेज़ । तो मुसलमानों के लिए रिज़र्वेशन तो पहले ही हो गया लेकिन ये अलग से मांगते हैं शेड्यूल्ड कास्ट वालों में । उसका अध्ययन नहीं करते, कोई उन्हें बताता नहीं है, मेरे जन-प्रतिनिधि भाई भी उनको यह नहीं बताते और मांग करते हैं । इससे अनुसूचित जाति के आरक्षण को नुकसान होता है । जब उनके लिए वहां आरक्षण है तो उस सूची को उन्हें देखना चाहिए ।

तीसरी चीज यह है कि यह आरक्षण हुआ क्यों था ? आरक्षण तो इसलिए हुआ था जो चार बातें बताई थी । अब लोक सभा में, विधान सभा में आरक्षण है, नौकरियों में आरक्षण अब कागज़ों में रह गया है । नई नियुक्तियां बंद हो गई हैं। जब नई नियुक्तियां बंद हो गईं तो आरक्षण लागू किसमें हो ? और जो पिछले आरक्षण में थे, वे समाप्त हो रहे हैं, सारे सरकारी संस्थान थे । जिन्होंने voluntary retirement ले लिया, वहां ऑटोमेटिकली आरक्षण quota पूरा हो गया । वहां पर न कोई प्रोन्नति का भविष्य है और न नई नियुक्ति का भविष्य है । तो नौकरियों की वजह से इनका उत्थान हुआ, कल्याण हुआ, लेकिन अब नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं है । इसी सदन में पिछले वर्ष हमने संविधान संशोधन विधेयक पास किया और यह तय हुआ कि जो बैकलॉग है, उसको पूरा किया जाएगा लेकिन आज तक कोई स्पेशल नियुक्ति अभियान नहीं चला । माननीय मंत्री डॉ.जटिया सरकार के आदमी हैं, आप बताएं कि क्यों नहीं चला यह अभियान ? संविधान संशोधन विधेयक पास क्यों किया था जब आप यह पूरा नहीं कर रहे हैं तो? You are befooling these persons. और न कोई बताता है कि कब तक होगा ? नौकरी तो इन लोगों को मिलने वाली नहीं है । इसके अलावा बाकी जो सरकारी संस्थान थे, उनका निजीकरण हो रहा है । निजीकरण में आरक्षण लागू नहीं हुआ । क्यों नहीं लागू हुआ ? आज जो निजीकरण वाले हैं, वे ज़मीन लेते हैं कौड़ियों के भाव । जैसे एपीजे स्कूल है,डीपीएस स्कूल

है,एक रुपया गज जमीन लेंगे फ्री। यह जमीन किसकी है, हमारी है, सबकी है। अगर सारी सुविधाएं लेंगे तो फिर आरक्षण को लागू क्यों नहीं करते हैं। बताइए जटिया जी, आपने इसके लिए क्या प्रयास किया ? निजी संस्थाओं में आरक्षण होना चाहिए। जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनसे पैसा लेते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे बैंक हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम राजस्व देते हैं और जो स्कूल हैं इन्हें हम बनाते हैं। इनमें हमारा कंट्रीब्यूशन है तो यह आरक्षण की प्रणाली यहां पर लागू क्यों नहीं है। देखिए, आप मुझे कह रहे हैं डीओपीटी का मामला है, ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी आफ दि काउंसिल आफ मिनिस्टर्स है।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : क्योंकि विधेयक आप ला रहे हैं, मैं तो आप से कह रहा हूं। आपके मंत्रालय की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, आप क्यों नहीं ला रहे हैं? आप निजीकरण में आरक्षण लागू कराईए।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : आपको ही एड्रेस कर रहा हूं। इन्होंने कागज पकड़ा दिया था तो मुझे थोड़ा बताना पड़ा।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : अभी- अभी तो यह पता चला है कि आप गन्ना किसान हैं। अच्छा बोल रहे थे इसलिए थोड़ा मिठास लाइए, ठीक रहेगा।

श्री संघ प्रिय गौतम: सर, मैं गन्ना किसान भी हूं, किसान भी हूं, सरकारी कर्मचारी भी रहा हूं, अध्यापक भी रहा हूं और वकील भी रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु): मुझे आपकी जन्मपत्री नहीं चाहिए इसलिए बोल रहा हूं कि आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप कह रहे हैं कि मैं क्या नहीं हूं, सर, आई एम आल इन वन। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि वहां पर आरक्षण लागू नहीं है तो अब इसका कोई लाभ नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह अनुसूचित जाति की सूची में लोग क्यों आना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ उठाने की वजह से आना चाहते हैं और आरक्षण कहीं है नहीं। फिर इसका लाभ क्या है, इस संविधान संशोधन का लाभ क्या है, इस सूची का लाभ क्या है, जब इसका क्रियान्वयन ही नहीं होना है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मान्यवर, अभी कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं केवल इसी कारण से। अभी दुलीना गांव, झज्जर, हरियाणा में पांच इन्नोसेंट दलितों को मार दिया गया। पुलिस के डर से हल्ला कर दिया कि वे गाय का चमड़ा निकाल रहे थे। भाई, चमड़ा निकालना तो उनका पेशा है, लाइसेंस उनके पास है । अब इस काम को भी नहीं करने देते। जो उनकी रोजी है उसे भी छीन रहे हैं। थोड़ा बहुत गांव में काम-धन्धा था वह भी सब छिन रहा है। कल ही एक रिपोर्ट आई है, ढिंढसा साहब यहां बैठे हैं, किसान हैं, कृषि में पिछले दिनों 60 परसेंट रोजगार कम हुआ है। यह वर्ल्ड की रिपोर्ट है, कल पब्लिश हुई है। ये कौन हैं, खेतिहर मजदूर हैं, ये अनुसूचित जाति , जनजाति के लोग हैं जो गांव में काम करते हैं। खेती में रोजगार नहीं है तो ये वहां से भी भाग रहे हैं। नौकरियों में आरक्षण खत्म हो गया, सरकारी संस्थानों में आरक्षण खत्म हो गया, निजी संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं है, खेती में

काम नहीं है। गांव में कुम्हार, लुहार, सुनार और मोची जो पालिश कर लेता था, वहां भी शूज एक्शन के हो गए हैं, वह काम भी छिन गया है। कोई काम नहीं है तो इनका क्या भविष्य होगा। आखिर यह अनुसूचित जाति की सूची क्यों बन रही है। आप उनसे साफ कह दीजिए कि भाई, क्यों बनना चाहते हो, तुम्हें इसका कोई लाभ तो मिलने वाला है नहीं। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को सूची के साथ इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज की समस्या क्या है और उसका निराकरण कैसे करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। आज सुबह उपराष्ट्रपति जी, जो इस सभा के सभापति हैं, जब उनको सम्मानित कर रहे थे तो हमारे मित्र गांधी आजाद और चितरंजन जी ने इसका उल्लेख किया था कि देश में अनुसूचित जाति की स्थिति बहुत दयनीय है । आज यह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है तो मान्यवर, मंत्री महोदय विधेयक तो है बड़ा सिम्पल, लोक सभा से भी पारित हो गया है, हम समर्थन भी करेंगे और सारा सदन इसका समर्थन करेगा। आप प्रधानमंत्री जी की तरह थोड़ा-सा और बोल्ड हो जाइए । प्रधानमंत्री जी जब बहुत बोल्ड ऐक्शन ले लेते हैं तो सबके हथियार उनके नीचे आ गिरते हैं । अब आप भी थोड़ा-सा बोल्ड हो जाइए क्योंकि आप मंत्री हैं । डी.ओ.पी.टी. तो केवल लागू करने वाली है । आप सोशल जस्टिस के मंत्री हैं लेकिन समाज के साथ इनजस्टिस हो रहा है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सोशल जस्टिस करें । इन शब्दों के साथ मैं आपके इस विधेयक का समर्थन करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Hon'ble Vice-Chairman, Sir, while supporting this Bill, I want to make some observations. It is a matter of great regret for all of us that even after 55 years of Indepedence, the system is going on. That is why the Committee on Alleviation of Racial Discrimination, set up by the U.N.O. has reported that the inequality among different castes is the highest in India. Though, reservation for Scheduled Castes in educational institutions, in Government services and in the Legislature started after 1935, and for Scheduled Tribes, in 1950, still their representation in educational institutions and in Government services is disproportionate to their percentage in the total population. At present, the Scheduled Castes constitute 16.6%, and Scheduled Tribes constitute 8.6%, of the total population of the country. But their enrolment in higher secondary level of education is only 11.5% and 4.4% respectively. In West Bengal, through land reforms and other measures, a number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been upgraded to a considerable extent, and it is reflected in the various reports published by the Government of India. The atrocities committed on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is alarmingly high in many parts of the country. The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes recorded a better position in West Bengal and Tripura. The present Bill for inclusion of some of the communities in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been prepared with a good intention, and I believe, for upgrading the lives of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

But the economic condition in India will definitely go against the interest of common people of India, particularly, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to mention emphasise here as we have done in West Bengal, that without the land reform, without a proper policy on forests, without a proper economic policy by the Union Government, the lot of the Scheduled Caste people cannot be improved. I have also moved a small amendment for inclusion of some of the castes. So far as the State of West Bengal is concerned, the West Bengal State Legislative Assembly has unanimously passed a Resolution, requesting the Chain Caste to be included, Layak as sub-caste of Kharia to be included and Bansphor to be included in this Amendment. With these words, I support this Bill as placed here and passed by the Lok Sabha. Thank you, very much.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to express my views on this Bill. This is an issue which has been agitating the minds of the people throughout the country since long. Whenever issues arise, some piecemeal arrangements are made, by bringing in Bills to take care of it.

Sir, now, some castes have been included in the S.C. list some have been previously shifted from the Scheduled Castes to the Scheduled Tribes: and, in some cases, the same has been extended or restricted to one taluk or the other. Today, people are actually moving from one State to another, or from one district of the State to another district of the State. Once they move to other districts and they apply for Community Certificate, what the officers concerned be it anywhere in India invariably say is that there is no such caste included in the list of Scheduled Castes or Scheduled Tribes in that particular district and that they are not in a position to issue the certificate. As a result, these people are suffering. There should be a permanent remedy for this. So, instead of merely extending it on a district-basis, what I feel is that, once a caste is accepted as a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, it should be applicable throughout India. This alone can serve the purpose for which it is intended. That is one thing. Secondly, when we talk about reservation, in my State, we have 69 per cent reservation. Actually, the reservation process started in 1921. To be precise, the first reservation order was issued in Tamil Nadu on 16th September, 1921. Since then, there have been several shifts in the decisions. Later, *vide* G.O. No.1090 - S.C./S.T. Welfare, dated 22nd June, 1990, it was enhanced to 69 per cent. But there is always a gap between the decision taken by the Executive and the verdict given by the Court.

Now, there is an impediment, if it exceeds 50 per cent. What I feel is that even if it exceeds 50 per cent, it would be better to give powers to the State Government to enhance it, taking into consideration the situation prevailing in the respective States. There is also a situation that even after a decision is taken, like, for example, give 69 per cent reservation, and it is included in the Ninth Schedule also, there is still an impediment from the judicial arena. Therefore, to remedy such a situation, what I feel is that the Government of India should come forward to see to it that any State wanting to give reservation beyond 50 per cent is given powers with some legal status to do so. Only then, the States would be able to enhance it, say, to 70-80 per cent. As it is, if it has to be above 50 per cent, then, there is a hurdle from the judicial angle. That is why, through a Constitutional amendment or through whatever method you feel is appropriate, you must do it, because, as far as Tamil Nadu is concerned, we are struggling like anything to keep the 69 per cent reservation in place.

Sir, another important thing that we have done is that, in 1990 itself, we have put a ban on de-reservation of the reserved seats meant for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, be it in Group 'A', 'B', 'C' or 'D' category, and we have also categorised separately the backward community and most backward community. Therefore, if there is any backlog, it remains as a backlog, till we get the reserved candidates to fill those vacancies. Then, Sir, as per one judgement, reservation should be given based on the posts, and not based on the vacancies. There is a vast difference between these two phrases, 'based on posts' and 'based on vacancies'. But what I feel is that, as regards the reserved category people who are appointed through a common examination meant for general candidates -- supposing the OBCs are appointed through a common examination -- their names are also included in the reservation list. When we give reservation to the extent of 22 per cent, or, 27 per cent, it is not that the percentage of people belonging to these categories is that much. They are more than that. Only because of the stipulation of 50 per cent, you have reduced the reservation to this extent. Therefore, I want to say that people who get employment after a common examination should not be included in the reservation list. Even in the Civil Services Examination, this is being done. That is why, hereafter, the reservation should be totally delinked from appointments made through common examinations.

3.00 P.M.

Then, in reservations, firstly, the backlog should be continued. Secondly, so far as general appointments are concerned, it should be delinked from appointment to the reserved vacancies. Thirdly, the Government should submit a White Paper regarding the position of the vacancies, how many vacancies are there, how many of them belong to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs. I would also like to know whether you have any intention to fill up these vacancies. I would also like to know whether you are thinking of taking up a special drive to fill up these vacancies. Let me mention here, Sir, that in order to fill up these backlog vacancies, what we the DMK Government have done in Tamil Nadu, was that we had appointed a committee headed by the Minister for Adi Dravidas and Scheduled Tribes and asked it to go through each Department to find out how many vacancies were there. Then, the special drive was conducted to see that these vacancies were filled up. I feel, Sir, the Government of India should also appoint a committee headed by a senior officer or the concerned Minister to find out how many vacancies are there in each Department. We still do not know how many vacancies are there. Why I am telling this is because some 10 days back, on the 8th of November, people in the insurance sector have submitted a memorandum to the hon. Prime Minister because more than 1500 vacancies reserved for OBCs have been lying vacant in the New India Assurance Company Ltd. Sir, if we do not fill up these reserved vacancies, how are we going to do justice to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the OBCs? The people belonging to the Scheduled Castes in the Hindu religion are getting the benefit of reservation, but those who were converted to other religions ... *(interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): This is not allowed.

SHRI S.VIDUTHALAI VIRUMBI: The benefits that are available to the people belonging to one religion should also be provided to those who were converted, because even after conversion their social status has not enhanced immediately and their economic situation has also not improved. Therefore, those who were converted to another religion also should get the same benefit of this reservation policy. If there is any impediment in the Statute book, please see that it is removed by bringing forth proper amendments.

Sir, the first thing is that the backlog vacancies should be filled up and people should be appointed against these posts. The second thing is that you must appoint a committee to find out how many vacancies are there. The third point is that the State Government must have a say in determining the percentage of reservation, even if it is more than 50 per cent, it should be left to the discretion of the State Government; and once it is incorporated in the Ninth Schedule, it should become permanent. Now, what is happening? The judiciary comes into it as an impediment. I do not want to criticize the judiciary. I have all the respect for the judiciary. But what I want to say is, because of the verdicts that they are giving every year, the people belonging to the OBCs, the Scheduled Castes, particularly the OBCs are suffering. They are also suffering because of the laxity in the administration in giving appointments, according to the policies accepted by the Government of India as well as the State Governments. Therefore, I request you to find out what lacunae are still there, and bring forward a comprehensive Bill. I hope that you will bring another comprehensive Bill. With that hope, I support this Bill.

SHRI RANGANATH MISRA (Orissa): Sir, this Bill is a fall-out of a periodic exercise contemplated in the Constitution, relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. What exactly is being proposed is the inclusion of certain castes in the list of Scheduled Castes. I have a small thing to point out. Kindly look at page 4, Item No.9, Part XIII. This very matter came before the Orissa High Court when I was a judge there. I had given a decision. We have taken fourteen years to implement that judgment -- by this amendment. The entry here -- I would request the Minister to kindly look at it -- is 'Kenta'; it should be 'Keuta'. It is not 'Kenta'; it is 'Keuta'. In the Lok Sabha, you have got it passed as 'Kenta'. If you do not correct it, there will be lot of problems in implementaton. So, it should be 'Keuta'. These are all equivalents -- 'Dhibar', 'giver', 'Kaibarta'.

The Supreme Court has consistently taken the view that by evidence, one cannot make it a question to be disposed of by a court; it should be in terms as given by Parliament, and courts have no jurisdiction to receive evidence to say that this is this and this is that; nothing of that type would be permitted. In some election cases, the reservation question had arisen; and this has been the decision, uniformly, in ten or twelve cases. So, I request you to kindly make it 'Keuta', and not 'Kenta'. The rest of it is all implementation. The Constitution contemplates that Government can have reservation in a certain part of a State only and not

in some other parts. For instance, if we are in Orissa, some caste may be in the reserved category in the Southern part, but not in the Northern part. It is done in many places. The spirit is to do that. That is not to be challenged. I think the amendments are in accordance with the requirements. Therefore, while I welcome the Bill, I request the Minister to kindly take note of this mistake.

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी । मैं इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 2, अनुसूची I, भाग 3, बिहार में क्रम संख्या 4 की प्रविष्टि 20 पर पान, स्वासी, पानर के संबंध में मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

महोदय, इस संबंध में मैं ने कुछ दिनों पूर्व मंत्री जी से दूरभाष पर बात की थी और एक पत्र भी मंत्री जी को लिखा था । मैं ने इस पत्र के साथ कई दस्तावेज भी दिए थे और अनुरोध किया था कि बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी तांती, ततमा एक जाति होती है जोकि पान, स्वासी का पर्यायवाची शब्द है । महोदय, उस दस्तावेज में कई समितियों ने अनुशंसा की है कि तांती, ततमा, पान, स्वासी का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए तांती और ततमा को भी अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा जाना चाहिए । यह मैं ने मंत्री जी से अनुरोध किया था । महोदय, इस संबंध में बिहार से एक डेलीगेशन आया था ...वह भी मंत्री जी से मिलने गया था ।

महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, यह एक बहुत बड़ा लैप्स है, जो रह गया है । इस कारण उन लाखों लोगों को जिन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है । मैं समझता हूँ कि इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। मैं मंत्री जी से पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसमें संशोधन करें और जिस ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है कि पान, स्वासी, के स्थान में ताती और नतमा को भी जोड़ें । इससे लाखों दीन-हीन लोगों को, पिछड़े लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी-चाकरी के क्षेत्र में सुविधाएं मिलेंगी ।

महोदय, यह एक बहुत आवश्यक संशोधन है, जिस पर मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा । धन्यवाद ।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा जो यह संविधान संशोधन लाया गया है, इसका तो मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां आप शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर इन जातियों को जोड़ रहे हैं वहीं आप उनकी संख्या का भी ध्यान रखें कि कितनी संख्या शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की बढ़ रही है और उस संख्या के आधार पर आरक्षण का परसेंटेज भी देखें । ठीक है, आप इन जातियों की संख्या जोड़ रहे हैं क्योंकि कमजोर जातियां हैं । आप उनको जोड़ें, कोई एतराज नहीं करता, लेकिन इससे जो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उस जनसंख्या के रेशो के अनुसार क्या आप आरक्षण की भी व्यवस्था करेंगे ? यह एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आज भी जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की जनसंख्या है उसके अनुसार उनके लिए आरक्षण नहीं है । इसकी ओर मंत्री जी, आपको ध्यान देना पड़ेगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो लोग आरक्षण के नाम से दूर भागते थे, लेकिन जब आरक्षण का लाभ मिलने लगा तो कई ऐसी जातियां भी है, जो आरक्षण का लाभ उठाने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की श्रेणी में आना चाहती हैं । मैं किसी जाति विशेष की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले समय में बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के दौरान कई ऐसी जातियां उसमें आ गईं, जिससे सारी पिछड़ी जातियों का आरक्षण उनको मिल रहा है और जो दबी, पिछड़ी जातियां थीं उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप इसका भी ध्यान रखें कि कुछ ऐसी जातियों के लोग इन श्रेणी में न घुस जाएं, जिससे कि उस श्रेणी के सही लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है वह उनसे छिन जाए बल्कि उनको उनका लाभ मिलना चाहिए । मैं यही कहना चाहता था । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): We have exhausted the list of speakers. Now, the hon. Minister.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा0 सत्य नारायण जटिया): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल को इस माननीय सदन में विचारार्थ स्वीकार कर लिया । इस बिल पर चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से उन लोगों को, जिनको कि इन अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया जाना है, उनको आरक्षण का लाभ देने की प्रक्रिया और व्यवस्था करने में हमें सहायता मिलेगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की । माननीय सदस्य श्री राजूभाई परमार जी ने, हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री संघ प्रिय गौतम जी ने, माननीय श्री प्रशांत चटर्जी जी ने, माननीय विरूम्मी जी ने, माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने, माननीय प्रो0 राम देव भंडारी जी ने और मूल चन्द मीणा जी ने इस बिल पर बहस करते हुए इससे संबंधित विषयों पर ध्यान दिलाने का काम किया है । आप जानते हैं कि इन जातियों में अन्य जातियों के लोगों को सम्मिलित करने के लिए एक निश्चित पद्धति, एक निश्चित उपाय बनाए हुए हैं । राज्य सरकारों की ओर से अनुसंधान के उपरांत जो कुछ प्रस्ताव आते हैं, उसकी जांच महापंजीयक, जनसंख्या जो रजिस्ट्रार जनरल सेसस हैं, वह करते हैं कि अनुयांशिक रूप से या किस तरह से इन जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया जाना है । साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग भी इस पर विचार करता है । जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कुछ जातियों को सम्मिलित करना चाहिए तो ये सारे प्रस्ताव वहां से चलकर जब हमारे पास आते हैं, तभी हम उनको कर पाते हैं । मंत्रालय का काम यह है कि जब ये सारी अनुशंसाएं आ जाती हैं, अनुशंसाएं अनुकूल होकर आ जाती हैं, तब उसको एक प्रस्ताव बनाकर के, एक विधेयक बनाकर के हम उसे संसद में प्रस्तुत करते हैं । फिर यह स्टेंडिंग कमेटी में जाता है, वहां भी इस पर विचार-विमर्श होता है और विचार-विमर्श होने के बाद फिर हमारे संविधान संशोधन के निमित्त प्रक्रिया में आकर इसको सम्मिलित करने का काम किया जाता है ।

हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से इस दिशा में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। पिछले समय भी हम इस प्रकार का एक प्रस्ताव लेकर आए थे जिसमें कि आपको पता है कि नर्मदा के अंदर जो लोग प्रभावित हो रहे थे, जिनको इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा था, उनको संरक्षण देने की दृष्टि से, प्रभावी उपाय करके हमने संरक्षण देने का काम किया था ।

उसके तुरंत बाद ही हमने इस प्रकार के प्रस्ताव की शुरूआत करने का काम किया और जो प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं, उनमें निश्चित रूप से इनको सम्मिलित करने के बाद काफी लोगों को इसका लाभ हो सकेगा । इस विधेयक में 18 राज्यों से संबंधित 81 प्रस्ताव विभिन्न जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने, सूची से निकालने तथा अन्य संशोधन परिवर्तन करने के संबंध में हैं । इसमें 8 प्रस्ताव नई जातियों का समावेश, 23 प्रस्ताव जातियों के अपवर्जन तथा 50 प्रस्ताव अन्य संशोधनों के बारे में है और वर्तमान में 81 प्रस्तावों के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं । जहां तक राज्य सरकारों के पास 30 प्रस्तावों अन्य संस्थाओं के पास प्रस्तावों का प्रश्न है, तो इनकी कुल संख्या 543 है, जो कि अभी विचार के अंतर्गत हैं लेकिन अभी हमारे सामने जो विचार के लिए हैं वे 81 हैं । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के विचारार्थ जो प्रस्ताव हैं, वे 52 प्रस्ताव हैं । भारत के महारजिस्ट्रार के समक्ष जो जनसंख्या के हैं उनके पास 41 हैं और राज्य सरकारें 369 प्रस्तावों के अनुसंधान के कामों में लगी हुई हैं। इस दृष्टि से इन सारे प्रस्तावों के बारे में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसी के माध्यम से ये सारे प्रस्ताव यहां पर आते हैं ।

इस प्रस्ताव को लोक सभा ने पारित किया है और माननीय सदस्यों ने जिस तरह से इस विषय के साथ जोड़कर के अन्य बातों को कहा है, जिस तरफ ध्यान दिलाया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । चूंकि यह एक सीमित प्रस्ताव है, उस पर सीमित चर्चा ही संभव है और अन्य समय पर इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जो सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में कोशिश होगी कि किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए क्या-क्या उपाय किए जाएं । आज तो यह एक सीमित प्रस्ताव के रूप में हमारे पास है । माननीय श्री रंगनाथ जी ने जो था, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण है और इस दृष्टि से इस प्रिंटिंग मिस्टेक को माननीय उपसभाध्यक्ष जी जिस पद्धति से ठीक कर सकते हों, उसे ठीक करने के लिए मैं निवेदन करता हूं । यह प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों को देखते हुए इस विधेयक में उल्लिखित जो जातियां हैं, उनको सम्मिलित करने की दृष्टि से आप हमें अनुमति देंगे और मैं सभी माननीय सदस्यों का इस बहस में भाग लेने के लिए आभारी हूं और माननीय सदस्यों के जो कुछ व्यक्तिगत सुझाव भी हैं, जैसा कि श्री भंडारी जी बता रहे थे, उस बारे में मेरा कहना है कि उस वक्त उसे चूंकि लोक सभा ने पारित कर दिया था तो यह संभव नहीं था कि मैं उस प्रस्ताव को अलग से देख पाता । फिर भी उस प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकार का ध्यान दिलाकर उसे करेंगे । "ताती" और "ततमा" के बारे में जो बताया गया है, लोक सभा में बहस करते समय इस ओर ध्यान दिलाया गया था, आपने भी इस ओर ध्यान दिलाया है, हमारी कोशिश होगी कि इस बारे में जानकारी हासिल करके इस पर आगे की कार्रवाई करने का हम काम करें । मैं फिर से आपके प्रति, माननीय सदन के प्रति और जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए ।

इस संशोधन में जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, "केन्टा" को "क्वेटा" पढ़ा जाए, इस प्रकार का संशोधन कर दिया गया है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Since the Minister has replied, now the question is:

That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 and the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, as passed by Lok Sabha, along with the spelling corrections which have just been moved, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill

Schedules I to V were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा. सत्यनारायण जटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

The question was put and the motion was adopted.

THE MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL, 2002

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI VED PRAKASH GOYAL): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958 and the Major Port Trusts Act, 1963, be taken into consideration."

Sir, I have a few points to make with regard to this Bill. We have been signing many MoUs with the International Maritime Organisation. These amendments particularly affect two things. One of them is the image that India carries as a world-class maritime country strictly according to the international norms and regulations.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU): Just excuse me. Just a minute, please. What is this sound coming? ....*(Interruptions)*...